न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-टि.ए.59/2021
पंजीयन दिनांक 23.12.2021

(1). हीरीबाई पत्नि स्वर्गीय भैरा उर्फ भैरूलाल जाति जाट निवासी भाटोली बागरियान तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(2). गीताबाई पत्नि स्वर्गीय भैरा उर्फ भैरूलाल जाति जाट निवासी भाटोली बागरियान तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(3). मन्जू पुत्री स्वर्गीय भैरा उर्फ भैरूलाल जाति जाट निवासी भाटोली बागरियान तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(4). कुशबा पुत्री स्वर्गीय भैरा उर्फ भैरूलाल जाति जाट निवासी भाटोली बागरियान तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

-अपीलांट्गण

बनाम

(1). रामेश्वरलाल पिता हजारी जाति जाट निवासी भाटोली बागरियान तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(2). ओंकारलाल पिता हजारी जाति जाट निवासी भाटोली बागरियान तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(3). उदयलाल पिता हजारी जाति जाट निवासी भाटोली बागरियान तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(4). सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार डूंगला, तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

-रेस्पोडेन्ट्गण

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगला
प्रकरण संख्या निल/2021 निर्णय एवं आदेश दिनांक 20.12.2021

उपस्थित वक्त बहस-(1). छोगालाल जाट-अधिवक्ता अपीलांट्गण
(2). अमित नाहर-अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3
(3). पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 4

निर्णय दिनांक 25.07.2022

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण अपीलांट्गण ने वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 88, 188 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण अपीलांट्गण व प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 से 3 एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है। मूल पुरुष लालू की खातेदारी मे मौजा भाटोली बागरियान तहसील डूंगला की आराजीयात खाता संख्या 169 मे दर्ज आराजी संख्या 1797, 1879, 1880, 1900, 1901, 1902, 1904, 1929, 1930, 1931, 1936, 1937, 1938, 1939 कुल किता 14 कुल रकबा 8.54 हैक्टेयर अवस्थित थी जो लालू के स्वर्गवास के पश्चात उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात बराबर-बराबर हिस्से अनुसार लालू के पुत्र भैरूलाल उर्फ भैरा एवं हजारी के नाम दर्ज रेकॉर्ड की गयी व हजारी का स्वर्गवास हो जाने से उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात मे से हजारी के हक हिस्से की कृषि आराजीयात प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज रेकॉर्ड की गयी। भैरा उर्फ भैरूलाल वादीगण अपीलांट्गण का पति व पिता है। वादीगण अपीलांट्गण के पति एवं पिता भैरा उर्फ भैरूलाल ने उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की पैतृक कृषि आराजीयात मे से आराजी संख्या 1929 रकबा 0.39 हैक्टेयर मे निहित अपना 1/2 हक हिस्सा प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 से 3 को जरिये पंजीकृत विकय पत्र विकय कर दिया जो नामान्तरण संख्या 803 दिनांक 23.01.2014 से प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज रेकॉर्ड किया गया व शेष आराजीयात वादीगण अपीलांट्गण के पति व पिता भैरा उर्फ भैरूलाल व प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी मे दर्ज रेकॉर्ड चली आ रही थी । प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 से 3 ने मिलकर अपीलांट्गण वादीगण के पति व पिता भैरा उर्फ भैरूलाल की वृद्धावस्था का नाजायज लाभ उठाते हुए अपीलांट्गण वादीगण के पति व पिता भैरा उर्फ भैरूलाल की शेष रही उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की पैतृक आराजीयात मे निहित सम्पूर्ण हक व हिस्से का दिनांक 26.05.2020 को तथाकथित बक्षिश नामा स्वयं के नाम निष्पादित करा पजीकृत करवा लिया जो वादीगण अपीलांट्गण के हक व हिस्से के मुकाबले प्रारम्भतः शून्य दस्तावेज है व सम्पूर्ण विवादित आराजीयात वादीगण अपीलांट्गण की पैतृक सम्पत्ति होने से स्वर्गीय भैरा उर्फ भैरूलाल को अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 से 3 को बक्षिश करने का किसी प्रकार का कोई वैधानिक हक व अधिकार नहीं था फिर भी भैरा उर्फ भैरूलाल ने प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 से 3 के पक्ष मे जो तथाकथित बक्षीश नामा निष्पादित व पंजीयन करवाया है , उक्त वर्णित कृषि आराजीयात के वादीगण अपीलांट्गण की पैतृक सम्पत्ति होने से वादीगण अपीलांट्गण के हक व अधिकारों के मुकाबले शून्य दस्तावेज है। स्वर्गीय भैरा उर्फ

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

भैरूलाल की विरासत से वादीगण अपीलांट्गण उक्त वर्णित विवादित पैतृक कृषि आराजीयात मे स्वर्गीय भैरा उर्फ भैरूलाल के निहित 1/2 हक व हिस्से को अपने नाम घोषित कराने की अधिकारिणी होने से वादीगण अपीलांट्गण ने उक्त वर्णित कृषि आराजीयात को स्वयं की खातेदारी मे दर्ज किये जाने का निवेदन किया। साथ ही वादीगण अपीलांट्गण स्वर्गीय भैरा उर्फ भैरूलाल की मृत्यु के पश्चात उसके हिस्से की उक्त वर्णित विवादित पैतृक कृषि आराजीयात के 1/2 हक व हिस्से पर प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 से 3 के साथ संयुक्त रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है जिससे वादीगण अपीलांट्गण के उक्त वर्णित विवादित पैतृक कृषि आराजीयात मे निहित अपने हक व हिस्से का विधिवत बंटवाड़ा कराये जाने का निवेदन किया। तथा उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात जो अकेले प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 से 3 के नाम गलत दर्ज रेकॉर्ड हो जाने से प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 से 3 वादीगण अपीलांट्गण के हक व हिस्से से इनकार करने लगे है जिससे वादीगण अपीलांट्गण ने प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्गण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये का निवेदन किया।

वादीगण अपीलांट्गण की ओर से प्रस्तुत उक्त आशय का वादपत्र दिनांक 20.12.2021 को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार का नहीं होना मानते हुए बिना दर्ज किये वापस लौटाये जाने का आदेश पारित किया जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट्गण वादीगण ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्गण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट्गण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलांट्गण वादीगण ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वादीगण अपीलांट्गण ने रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण के विरूद्ध कृषि आराजीयात के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 53, 188 के तहत वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित पैतृक कृषि आराजीयात अपीलांट्गण वादीगण के ससुर एवं दादा स्वर्गीय लालू की होकर अपीलांट्गण वादीगण का उक्त वर्णित सम्पूर्ण पैतृक कृषि आराजीयात मे हक हिस्सा निहित है । प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 से 3 जो कि स्वर्गीय भैरा उर्फ भैरूलाल के भतीझे है। प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 से 3 ने लालू की मृत्यु के बाद भैरा उर्फ भैरूलाल के नाम विरासत से दर्ज हक व हिस्से को जरिये बक्षिश नामा अपने नाम खातेदारी मे दर्ज करवा लिया जो अपीलांट्गण वादीगण के हक व अधिकारों के मुकाबले शून्य व निष्प्रभावी होकर अपीलांट्गण वादीगण उक्त वर्णित विवादित पैतृक कृषि आराजीयात मे निहित अपने हक

करने की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने की अधिकारी है। परन्तु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने पंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर वादपत्र को क्षेत्राधिकार का नहीं होना बताकर लौटाये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट्गण वादीगण खातेदार स्वर्गीय भैरा उर्फ भैरूलाल की पत्नीयां व पुत्रियां होकर खातेदार भैरा उर्फ भैरूलाल के वैधानिक वारिस है व विवादित कृषि आराजीयात मूल पुरूष लालू की होकर स्वर्गीय भैरा उर्फ भैरूलाल व उसके भाई हजारी को बराबर-बराबर हिस्से अुनसार विरासत से प्राप्त हुई है जिससे उक्त वर्णित कृषि आराजीयात पैतृक संपत्ति होने से अपीलांट्गण वादीगण स्वर्गीय भैरा उर्फ भैरूलाल के जीवनकाल मे ही उक्त वर्णित कृषि आराजीयात मे हक व अधिकार रखती है फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण को बिना सुने व बिना किसी आधार के अपीलांट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र पर विचारण किये बगैर ही क्षेत्राधिकार का नहीं होना मानते हुए वादपत्र बिना दर्ज किये ही लौटाये जाने का निर्णय व आदेश वादपत्र के पुष्ट पर पारित कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा कृषि भूमि की खातेदारी घोषणा, बंटवाड़ा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की प्रथम अनुसूचि मे अंकित है व उक्त वादपत्र को सुनने का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। उक्त तथ्य के समर्थन मे अधिवक्ता अपीलांट्गण वादीगण ने आर.आर.डी. 2011 पेज 491 मे पारित न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन कराया जिसमे उक्त न्यायिक दृष्टांत के पैरा 9 मे राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम के तहत उक्त वादपत्र को सुनने का पूर्ण रूप से अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है । परन्तु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलांट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को बिना दर्ज किये व बिना प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 से 3 को सुने लौटाये जाने का आदेश पारित किया है जिसके विरुद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 20.12.2021 को निरस्त किया जाकर मूल वादपत्र मय प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने हेतु आदेशित किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 से 3 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 से 3 को अपीलांट्गण वादीगण के पति एवं पिता खातेदार भैरा उर्फ भैरूलाल ने उक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात मे निहित उसका सम्पूर्ण हक व हिस्सा स्वयं के द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र व जरिये पंजीकृत दान पत्र हस्तांतरित किया गया है। उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र एवं दानपत्र द्वारा अर्जित आराजीयात का प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 1 से 3 ने नामान्तरण स्वयं

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

नाम खुलवाकर उक्त वर्णित कृषि आराजीयात को अपने नाम खातेदारी मे दर्ज करवाया है। तथा प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 उक्त वर्णित कृषि आराजीयात पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। इस प्रकार प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 ने उक्त वैद्य पंजीकृत दस्तावेजो के आधार पर उक्त वर्णित कृषि आराजीयात को अपने नाम खातेदारी मे दर्ज करवाया है तथा उक्त पंजीकृत वैध दस्तावेजो को निरस्त किये जाने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने वादीगण अपीलांट्गण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को अधीनस्थ विद्वान विचारण के क्षेत्राधिकार का नहीं होना बताते हुए लौटाये जाने का निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है। वादीगण अपीलांट्गण ने ऐसा कोई दस्तावेज न तो अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे ओर न ही न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत किया है जिससे उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात का पैतृक सम्पत्ति होना प्रमाणित होता हो। साथ ही अपीलांट्गण वादीगण द्वारा पंजीकृत दस्तावेजो को शून्य करार दिये जाने का अनुतोष चाहा है। पंजीकृत दस्तावेजो के शून्यीकरण का अनुतोष प्रदान करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सक्षम सिविल न्यायालय को होने के कारण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने वादीगण अपीलांट्गण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वयं के क्षेत्राधिकार का नहीं होना बताते हुए लौटाये जाने का निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत होने से अपीलांट्गण वादीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अन्त मे अपील अपीलांट्गण वादीगण अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 20.12.2021 यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 4 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 20.12.2021 को विधि सम्मत होना बताते हुए अपीलांट्गण वादीगण द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट्गण वादीगण ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे खातेदारी घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की अनुसूचि प्रथम के तहत भैरा उर्फ भैरूलाल की ओर से तथाकथित पंजीकृत दान विलेख व तथाकथित विक्रय पत्र को शून्य मानते हुए वादपत्र पैतृक कृषि आराजीयात के संबंध में अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की प्रथम अनुसूचि के तहत प्रस्तुत किया। उक्त वादपत्र की सुनवाई का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। राजस्व न्यायालय को उक्त वादपत्र को

का अधिकार होने के संबंध मे अधिवक्ता अपीलांट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 2011 पेज 491 की कलम संख्या 9 मे स्पष्ट किया गया है जिससे उक्त न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा होकर शून्य दस्तावेज के आधार पर पैतृक कृषि आराजीयात के संबंध मे वादपत्र का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है, परन्तु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत वादपत्र को दर्ज करने से पूर्व वादपत्र के संबंध में जांच रिपोर्ट वादपत्र के पुष्ट पर अंकित की गई। उक्त जांच रिपोर्ट जिसमे यह उल्लेखित किया है कि प्रस्तुत वादपत्र मे पंजीकृत दस्तावेजो को शून्य करार दिया जाकर खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा गया है, साथ ही प्रस्तुत वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं होकर सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होना उल्लेखित है। जबकि प्रस्तुत वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलांट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र मे पंजीकृत दस्तावेजो को शून्य करार किये जाने का अनुतोष चाहा गया हो, प्रस्तुत वादपत्र मे कही भी ऐसा अंकित होना नहीं पाया गया है । प्रस्तुत वादपत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट्गण वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र मे पंजीकृत दस्तावेजो को शून्य करार दिये जाने का अनुतोष नही चाहा गया है। अपीलांट्गण वादीगण ने प्रस्तुत वादपत्र मे स्वयं की पैतृक कृषि आराजीयात मे अपने हक हिस्से तक खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। फिर भी उक्त जांच रिपोर्ट जो वादपत्र मे चाहे गए अनुतोष के विपरीत थी , उक्त जांच रिपोर्ट पर वादपत्र अवलोकनार्थ व आदेशार्थ प्रस्तुत हुआ जिस पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने वादपत्र मे अंकित तथ्यों का ठीक से अवलोकन किये बिना ही उक्त मिथ्या जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट्गण वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने क्षेत्राधिकार का नहीं होना बताकर अपीलांट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को लौटाये जाने का आदेश पारित किया है, जो न्यायोचित नहीं होने से अपीलांट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट्गण वादीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगला द्वारा वादपत्र की पुष्ट पर दिनांक 20.12.2021 को वादपत्र लौटाये जाने का आदेश पारित किया है जिसे निरस्त किया जाकर मूल वादपत्र मय प्रार्थना-पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को लौटाया जाता है कि वह वादपत्र व प्रार्थना-पत्र जो अपीलांट्गण वादीगण की ओर से दिनांक 14.12.2021 को प्रस्तुत किया है, को पंजीबद्ध किया जाकर, उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)